भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3605

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एनपीए की वसूली

3605. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक-वार वसूल की गई कुल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) कितनी हैं;

(ख) बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन और परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधार क्या हैं;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह में सुधार हेतु लागू किए गए उपाय क्या हैं, तथा लक्ष्य आवंटन और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) डिजिटल बैंकिंग पहलों में कितनी प्रगति हुई है और संसाधित डिजिटल संव्यवहार की संख्या कितनी हैं और पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और खोले गए नए बैंक खातों की संख्या कितनी है और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले 10 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई कुल वसूली का बैंक-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण अनुशासन, उत्तरदायी ऋण, बेहतर अभिशासन, प्रौद्योगिकी अपनाने और सहकारी बैंकों के उचित विनियमन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) निम्नलिखित के माध्यम से ऋण अनुशासन स्थापित किया गया है:-

1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमन।
2) आरबीआई द्वारा कॉर्पोरेट ऋणों की निगरानी और इरादतन चूक तथा धोखाधड़ी के लिए उच्च मूल्य वाले खातों की व्यवस्थित जाँच हेतु बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय रिपॉज़िटरी (सीआरआईएलसी) की स्थापना।

(ii) दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान और समाधान - बड़े उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान में चूक/विलंब के मामले में वित्तीय संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं अर्थात: -

1) दबाव के शीघ्र पहचान करने और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा स्थापित करना।

2) समयबद्ध उपचारात्मक कार्यों के लिए तृतीय पक्ष के डेटा और कार्यप्रवाह का उपयोग करके खातों के एनपीए में परिवर्तन (स्लिपेज) का पता लगाने और उसे कम करने के लिए स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली।

3) बाजार आधारित तंत्र को व्यापक ढांचे के माध्यम से पात्र अंतरितिओं की दबावग्रस्त आस्तियों के अंतरण हेतु तुलन-पत्रों पर ऋण जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने में समर्थ बनाने के लिए सुदृढ़ बनाया गया है।

4) विभिन्न उधारदाताओं में विभाजित दबावग्रस्त ऋण को समेकित करने और अधिग्रहण करने और तत्पश्चात बेहतर प्राप्ति के लिए खरीदारों को इसके प्रबंधन और खरीदारों को इसके निपटान करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना की गई है ।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन सुधारों को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन का निष्पक्ष चयन, राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-कार्यकारी अध्यक्षों को लाया जाना, प्रतिभा पूल का विस्तार करना और एमडी पद के लिए कार्य-निष्पादन-आधारित विस्तार स्थापित करने जैसे सुधारों के माध्यम से किया गया है|

(iv) बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) सुधारों ने पीएसबी में सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे अभिशासन, विवेकपूर्ण उधार, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी- और डेटा-संचालित बैंकिंग तथा परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन पर उद्देश्यपूर्ण और निर्धारित प्रगति को सक्षम बनाया है।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन से अर्थव्यवस्था में वृद्धि, वित्तीय क्षमता में वृद्धि, प्रौद्योगिकी को अपनाना और समग्र दक्षता में वृद्धि हुई है।

(vi) बैंकिंग में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी अपनाने से वित्तीय समावेशन का विस्तार, दक्षता में सुधार और वास्तविक समय पर सेवा वितरण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जन-धन – आधार – मोबाइल (जेएएम) सहबद्धता, अंतर परिचालनीय बैंक मित्र, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसे विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप डिजिटल भुगतान लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

(vii) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 को सहकारी बैंकों के अभिशासन, वित्तीय स्थिरता और विनियामकीय निगरानी को बढ़ाने के लिए लाया गया था, जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों नागरिकों को सेवा प्रदान करते हैं।

(viii) बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अभिशासन मानकों को बढ़ाने, जमाकर्ताओं और निवेशकों के संरक्षण को सुदृढ़ करने, पीएसबी में लेखा परीक्षा गुणवत्ता में सुधार करने, बैंकों द्वारा आरबीआई को वैधानिक रिपोर्टिंग हस्तांतरित करने और ग्राहक सुविधा के लिए नामांकन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण प्रवाह में सुधार के लिए कार्यान्वित उपाय और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

(i) एमएसएमई हेतु पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस - एमएसएमई)- यह एक सरकार समर्थित पहल है जिसे एमएसएमई को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना ऋण गारंटी प्रदान करती है, जिससे एमएसएमई के लिए विशेष रूप से आवश्यक उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह योजना ऋणदाताओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी) को एमएसएमई को उपकरण/मशीनरी की खरीद से जुड़ी उनकी परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये तक के उनके सावधि ऋण के लिए ऋण गारंटी कवर प्रदान करती है। यह योजना हाल ही

में शुरू की गई है और यह 7 लाख करोड़ रुपये तक के ऋणों पर गारंटी जारी होने तक या दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से 4 साल (यानी दिनांक 27.1.2025), जो भी पहले हो, तक वैध है।

(ii) आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) - ईसीएलजीएस ने सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) को एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों सहित पात्र उधारकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में 100% गारंटी कवर प्रदान किया ताकि उन्हें अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने तथा अपने व्यवसायों को पुन: आरंभ करने में मदद मिल सके। यह योजना दिनांक 31.3.2023 तक वैध थी और 1.19 करोड़ व्यवसायों को 3.68 लाख करोड़ रुपये की चलनिधि सहायता प्रदान की गई, जिनमें से ईसीएलजीएस के अंतर्गत 1.13 करोड़ एमएसएमई को 2.42 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(iii) केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के पश्चात, केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 06.03.2025 को एमएसएमई के लिए नया ऋणमूल्यांकन मॉडल शुरू किया था। यह मॉडल डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का लाभ उठाता है और सभी ऋण आवेदनों के लिए उद्देश्यकारक निर्णय और बैंक के लिए मौजूद (ईटीबी) तथा साथ ही बैंक के लिए नए (एनटीबी) एमएसएमई उधारकर्ताओं, दोनों के लिए मॉडल-आधारित सीमा मूल्यांकन का उपयोग करके एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचलित योजना बनाता है।

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्थान (एमएलआई) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए 10 करोड़ रुपये या उससे कम की राशि के ऋणों के लिए 85% तक गारंटी कवर प्रदान करता है। वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी की गई है जो 0.37% से 1.20% तक है। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, सीजीटीएमएसई ने 10.50 लाख करोड़ रुपये की 1.22 करोड़ संख्या की संचयी गारंटी को मंजूरी दी है।

(घ): देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22,831 करोड़ हो गई है, जो 41% की सीएजीआर से बढ़ रही है। इसी अवधि के दौरान, लेनदेन का मूल्य 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,509 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इसके अतिरिक्त, जून 2024 में डिजिटल भुगतान की कुल मासिक मात्रा 1,739 करोड़ से बढ़कर जून 2025 में 2,099 करोड़ हो गई है। इसी अवधि के दौरान, जून 2024 में लेनदेन का मूल्य 244 लाख करोड़ रु. से बढ़कर जून 2025 में 264 लाख करोड़ रु. हो गया|

विशेष रूप से यूपीआई लेनदेन, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 114% की सीएजीआर के साथ 18,587 करोड़ हो गए हैं। इसी अवधि के दौरान, लेनदेन का मूल्य 1.10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

जुलाई 2025 में यूपीआई ने पहली बार एक माह में 1,946.79 करोड़ रूपये से अधिक लेनदेन दर्ज करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है।

(ङ): प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने में सफल रहा है। दिनांक 25.07.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 2,61,982 करोड़ रुपये की शेष जमा राशि के साथ कुल 55.98 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। उपर्युक्त में से, (55.8%) जन-धन खाते महिलाओं के हैं और लगभग (66.7%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।

जन-धन खाते खोलने से समाज के असंगठित वर्गों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज की सुविधा मिली है। दिनांक 23.07.2025 की स्थिति के अनुसार कवरेज इस प्रकार है:-

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत, किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए 24.27 करोड़ संचयी नामांकन किए गए हैं;

(ii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत, 2 लाख रुपये (मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता) और 1 लाख रुपये (स्थायी आंशिक विकलांगता) का एक वर्ष का दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए 52.40 करोड़ संचयी नामांकन किए गए हैं;

(iii) दिनांक 25.07.2025 की स्थिति के अनुसार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत पात्र अभिदाताओं को मासिक पेंशन देने के लिए 8.00 करोड़ संचयी नामांकन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, "गैर-वित्तपोषितों का वित्तपोषण करने" तथा विशेषकर रेहड़ी-पटरी वालों जैसे असंगठित लघु उद्यमियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई ऋण संबद्ध योजनाओं के कवरेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं:-

(i) दिनांक 27.06.2024 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में आय सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिए सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए 35.13 लाख करोड़ रुपये की राशि के 5,385.07 लाख संचयी ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 62,792 करोड़ रुपये की राशि के 2.75 लाख संचयी ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

*****

अनुबंध

पीएसबी द्वारा एनपीए वसूली के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3605

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा अनर्जक आस्तियों और बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई कुल वसूली

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25#
बैंक ऑफ बड़ौदा[1]	2,910	6,377	7,093	13,603	8,664	8,357	8,564	9,572	7,199	7,756
बैंक ऑफ इंडिया	3,798	4,895	14,348	8,964	8,443	4,684	7,858	7,236	7,720	9,769
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	714	848	1,903	2,269	1,660	2,302	1,816	1,876	1,610	1,816
केनरा बैंक[3]	3,239	3,644	5,172	11,950	13,300	10,318	11,324	17,029	9,352	9,521
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3,198	2,721	3,487	5,799	4,290	2,972	3,441	4,505	3,402	3,374
इंडियन बैंक[4]	3,343	2,501	2,910	4,392	4,347	4,473	5,087	7,039	6,654	6,231
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1,814	2,118	4,507	4,409	3,025	1,668	1,397	1,229	3,614	3,342
पंजाब एंड सिंध बैंक	251	215	466	1,043	643	1,004	1,273	1,818	1,600	890
पंजाब नैशनल बैंक[2]	10,894	15,603	8,971	21,320	18,092	13,939	19,229	16,309	13,206	9,931
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया[6]	14,114	16,159	15,181	35,062	31,895	23,678	18,125	20,122	15,169	14,250
यूको बैंक	1,369	2,039	1,862	3,440	3,719	2,155	2,845	2,978	2,227	3,326
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया[5]	2,342	3,238	4,604	8,823	10,557	7,727	8,601	12,827	11,277	9,236

स्रोत: आरबीआई (#वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम आंकड़े)

** विलय किए गए बैंकों के आंकड़े संबंधित बैंक के आंकड़ों में शामिल किए जाते हैं जिनमें उनका विलय किया गया था। पीएसबी के विलय का ब्यौरा निम्नानुसार है।*

1. *दिनांक 01.04.2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया।*
2. *1 अप्रैल, 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नैशनल बैंक में विलय कर दिया गया।*
3. *दिनांक 01.04.2020 से सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया।*
4. *दिनांक 01.04.2020 से इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया।*
5. *दिनांक 01.04.2020 से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया।*
6. *दिनांक 01.04.2017 से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों (नामत:, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड) का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया।*